छठा राष्ट्रीय नारी मुक्ति संघर्ष सम्मेलन

सुहास कुमार

एक बार फिर हज़ारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुईं। अवसर था छठा राष्ट्रीय नारी मुक्ति संघर्ष सम्मेलन, स्थान था रांची, बिहार, 28 से 30 दिसम्बर, तीन दिन रांची शहर खूब गुलज़ार रहा। महिलाएं गले मिलीं, बातचीत की, कुछ कही कुछ सुनी, मिलकर नाचा गाया, खुशियां मनाईं, गम सुनाकर मन हल्का किया। बहनचारा मज़बूत बनाया।

एसे 5 सम्मेलन पहले हो चुके हैं, 1980 में सबसे पहले बंबई में महिला समूहों ने मीटिंग की। 1984 में दूसरा सम्मेलन भी बंबई में हुआ। चौथा 1990 में कालीकट में तथा पांचवा 1994 में तिरुपति में हुआ। तबसे अब तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ती ही रही है। एक के बाद एक मुद्दे जुड़ते गए। अब 3 दिन का समय भी कम पड़ता है। 1990 में ज़मीन से जुड़ी, गांव व बस्ती की महिलाओं की भागीदारी से आंदोलन में नई जान आई, इस बार भी तीन चौथाई महिलाएं दलित और आदिवासी थीं, एक दूसरे की बात समझे न समझें—दोस्ती तो बनी, समस्याएं हल न हो पाईं हो—नई ताक़त, नया जोश तो आया, इरादे और बुलंद हुए। सम्मेलन में 16 राज्यों के लगभग 350 महिला संगठनों ने भाग लिया। कुल लगभग 3,500 भागीदार थे। चर्चा के खास मुद्दे तीन थे।

1. विस्थापन और महिलाएं
2. महिलाओं पर बढ़ती हिंसा
3. राजसत्ता का महिला विरोधी रुख

विस्थापन और महिलाएं

आज देश में सरकार की गलत नीतियों से विकास के नाम पर तमाम लोगों को उनकी खेतिहर ज़मीन और जंगलों तथा चारागाहों से बेदखल किया जा रहा है। इससे लाखों लोग अपने बाप दादों की ज़मीन को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हुए हैं। उन्हें जो मुआवज़ा मिला है उससे वे ज़मीन तो क्या फिर से कोई धंधा भी नहीं शुरू कर पा रहे हैं। उनके पास सर छुपाने को छत भी नहीं है। कुछ को तो वह थोड़ा मुआवजा भी नहीं मिला है। उनके पास रोज़गार भी नहीं है। गांव में आपसी मदद व भाई चारा मिलता था। अब कोई कहीं कोई कहीं भटक रहा है। इससे औरतों की ज़िंदगी तो बहुत ही उलट-पलट गई है।

सम्मेलन में भारी संख्या में आई आदिवासी और दलित औरतों ने आप बीती सुनाई। जंगल कट जाने से उन्हें शौच जाने तक की सुविधा नहीं है।

रात में जाना पड़ता है। कहीं-कहीं सुलभ शौचालय बने हैं लेकिन ज़्यादातर नाकाफ़ी हैं। आज खेती में लगी हज़ारों महिलाएं बेरोज़गार हो गई हैं। घर के काम का बोझ बढ़ गया है, पति रोज़गार की तलाश में शहर चले गए हैं। जंगलों से बांस व लकड़ी का सहारा था वह भी चला गया। बांस से डलिया वगैरह बनाती थीं। आज खाली बैठी हैं।

ज़मीन की बेदखली के साथ-साथ उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पेशेवर विस्थापन भी हुआ है। नई नीतियों से राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं सभी में कटौती हुई है।

महिलाओं पर बढ़ती हिंसा

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तीन बड़े मुद्दों बलात्कार, दहेज-मृत्यु और डायन प्रथा पर चर्चा हुई। बलात्कार के मामले सरकार चलाती हैं। लोगों को मुकदमों की कोई जानकारी नहीं मिलती, एक लंबे अर्से बाद फैसला सुनाया जाता है तब तक लोग तो मामले को भूल ही जाते हैं। बच्ची जवान और जवान अधेड़ हो जाती है, कई बार बलात्कारी बेल पर छूट कर खुलेआम घूमते हैं।

आम तौर पर डाक्टरी जांच की रपट जो सुनवाई के लिए ज़रूरी है, नहीं मिलती। मामले की गुपचुप सुनवाई भी हल नहीं है। बलात्कार की शिकार महिला अकेली पड़ जाती है।

मामले की सुनवाई बहुत दिनों बाद होने से बलात्कारी को वह ठीक से पहचान भी नहीं पाती। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व घरों में मारपीट भी बढ़ ही रही है। हिंसा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है।

राजसत्ता का महिला विरोधी रुख

तीसरा मुद्दा राजसत्ता द्वार महिलाओं को सताया व दबाया जाना था। सरकार परिवार नियोजन के सही-गलत तरीके महिलाओं पर ज़बरदस्ती थोपती है। जल, जंगल, जमीन प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों तक उनको पहुंचने नहीं दिया जाता। उनकी मेहनत से कम मेहनताना उनको मिलता है। सरकार कई तरह की जोर ज़बरदस्ती भी करती है।

महिलाएं चाहती हैं कि पति-पुत्र शराब न पिएं, सरकार ठेके पर ठेके खोलती है ताकि कर से पैसा बटोरे। पुलिस के जुल्म महिलाओं पर कुछ और भी ज्यादा हैं।

आज यह समझना भी ज़रूरी है कि सरकार से भी बड़ी ताकतें हैं जो हम सबकी ज़िंदगी पर असर डाल रही हैं, वे ताकतें हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारे और हमारी तरह के गरीब देशों पर आर्थिक कब्ज़ा जमा रही हैं। कर्ज़दार होने की वजह से हमारी सरकार चाहते हुए भी उन पर अब रोक नहीं लगा सकती।

बाज़ार में चीज़ों के दाम घटना और बढ़ना इन्हीं कंपनियों के हाथ में है। इनके आने से आज

बाज़ार और पैसा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। बाज़ार में चीज़ों की भरमार है पर हममें से कितने उन्हें खरीद सकते हैं। यही नहीं सरकार धीरे-धीरे गैर जवाबदेही का रुख़ अपना रही है। इन तीनों के अलावा चर्चा के और मुद्दे भी थे।

1. दलित महिलाओं की विशेष समस्याएं
2. आदिवासी महिलाओं की समस्याएं
3. मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं
4. महिलाओं पर यौनिक हिंसा
5. नारी आंदोलन में अलग-अलग नज़रिए
6. राजनीति और सरकारी तथा अन्य नौकरियों में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण
7. समलैंगिकता
8. एकल औरतें
9. महिलाओं के भूमि अधिकार आदि।

सम्मेलन का कार्यक्रम

28 दिसम्बर 1997 को सम्मेलन की शुरूआत सुबह दस बजे रांची के नगर भवन में हुई। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी राज्य (शिलांग, मनीपुर), धर्मशाला से तिब्बती महिला भागीदार वहां आईं। बिहार के काफ़ी दूर दराज़ वाले इलाकों की महिलाएं बड़ी संख्या में आईं। भाषणों, गीतों, नाटकों और नारों की गूंज रही। हर दिन शाम से देर रात गए गाना, नाचना, नाटक वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे चूंकि भागीदार सिर्फ़ महिलाएं थीं, बिना हिचक गाना बजाना नाचना चला। आंदोलन से जुड़े कई नए पुराने गाने सुनने को मिले। इन सबसे मनोरंजन तो हुआ साथ ही मुद्दों की समझ भी बढ़ी।

सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव व मांगें विस्थापन सत्र

- विस्थापन कम से कम या नहीं ही होना चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकारें ठोस विस्थापन नीति बनाएं।
- ज़मीन सरकार लोगों की दिक्कतें समझ कर ले।
- सबको पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अचानक ही ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
- आम जन (जिसमें, महिलाएं भी शामिल हैं) के मानव अधिकारों को ध्यान में रखा जाए।

महिला संगठनों को दलित, आदिवासी व गांवों की महिलाओं की लड़ाई में उनकी मदद करनी है। आज उनके सामने ज़िंदगी मौत का सवाल है। उनके मुद्दों को हमें प्राथमिकता देनी होगी।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा-सत्र

- बलात्कार क़ानून में ज़रूरी संशोधन किए जाएं। बलात्कार में बच्चियों वगैरह के साथ बलात्कार के तौर तरीकों को भी शामिल किया जाए। बलात्कार साबित करने का ज़िम्मा बलात्कारी पर डाला जाए। बलात्कार मामले की सुनवाई

और फैसला जल्दी हो। क़ानूनन समय सीमा तय की जाए।

- पुलिस व जजों को इस मामले में ज़्यादा हमदर्दी का रवैया अपनाने के लिए खास तरीके अपनाए जाएं।
- कानूनी बदलाव एक हथियार है। बदलाव के लिए क़ानून के साथ-साथ सोच में भी बदलाव लाना ज़रूरी है।
- क़ानूनी सज़ा के साथ-साथ बलात्कारी को सामाजिक सज़ा भी मिलनी चाहिए।

राजसत्ता का महिला विरोधी रुख

- सरकार की जनसंख्या नीति की कड़ी निंदा की गई और यह तय किया गया कि हम उसका जमकर विरोध करें।
- एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई जाए जिसमें महिलाओं के पूरे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। उन्हें सिर्फ बच्चा जनने की मशीन न माना जाए।
- खतरनाक और लंबे अर्से तक असर वाले गर्भ निरोधकों पर फौरन रोक लगाई जाए।
- काश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राज्यों व बिहार तथा जहां कहीं और भी हो रहा है सरकारी दमन की हम घोर निंदा करते हैं।
- रणबीर सेना और जो राजनैतिक समूह उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं उनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए।
- टाडा, नासा जैसे भयंकर कानूनों को हटाया जाए।

रणनीति

- महिला समूहों का एक नेटवर्क बनाया जाना बहुत जरूरी है।
- 8 मार्च 98, महिला दिवस में राजसत्ता द्वारा दमन को मुख्य मुद्दा बनाया जाए।
- 8 मार्च 98, को शराब विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाए।
- हम भावी लोक सभा चुनावों में यह मुद्दा बनाएं कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो महिला आरक्षण बिल पास करने में पूरी मदद देंगे।
- 26 जनवरी से 4 फरवरी के बीच महिला संगठन आरक्षण बिल संबंधी कार्यक्रम करें।
- बिहार के महिला आयोग में अध्यक्ष व सभी सदस्य पुरुष हैं। हम उसका बायकाट करेंगे।

सम्मेलन में आई महिलाओं ने एकजुटता दिखाई, फिर मिलने का वादा किया, नई ताक़त व नए इरादों को लेकर वे वापस गईं। □

ज़िन्दगी कुछ और नहीं
ठान लो तो हथियार है
मांग लो तो अधिकार है।